Need to provide special financial assistance for improving public transport system in Rajasthan-Laid

डॉ. मन्ना लाल रावत (उदयपुर) : संसद द्वारा पारित सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 के तहत अधिकांश राज्यों में सार्वजनिक परिवहन कार्यों के लिए निगम की स्थापना की गई है, जिसका उद्देश्य सड़क परिवहन के विकास द्वारा जनता, व्यापार एवं उद्योग जगत को लाभ पहुँचाना, सड़क परिवहन में समन्वय स्थापित करना एवं यातायात सुविधाओं के विस्तार एवं सुधार करना एवं दक्ष तथा मितव्ययी सड़क परिवहन प्रणाली को विकसित करना है । राजस्थान में इस हेतु राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना वर्ष 1964 में की गई, जिसकी वर्तमान वित्तीय स्थिति संकटापन्न है । निगम को हो रहे लगातार आर्थिक नुकसान एवं कार्मिकों की कमी से राज्य में बस सेवाओं पर विपरीत प्रभाव हो रहा है । विशेषतः ग्रामीण एवं अनुसूचित क्षेत्र में इस सेवा की अत्यन्त कमी है । निगम के पास बसों की लगातार कमी होने की जानकारी भी मिल रही है । ऐसी ही स्थिति अन्य राज्यों में भी है । केन्द्र सरकार से आग्रह है कि जनहित में सुविधाजनक एवं सस्ती बस सेवाओं के लिए नई बस सेवाएँ जारी रखने के लिए निगम को आर्थिक सहायता हेतु संविधान के अनुच्छेद 275 (1) या मोटर यान अधिनियम, 1989 के उद्देश्यों के लिए राजस्थान जैसे राज्यों को विशेष आर्थिक सहायता प्रदान की जायें ।